Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति को 5 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **गेस्ट हाउस से नगद करीब 21 लाख रूपये की संदिग्ध राशि बरामद**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *05 मई, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी एस.यू.–द्वितीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये डॉ. रामावतार गुप्ता, कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा को परिवादी से **5 लाख रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की एस.यू.–द्वितीय इकाई को ए.सी.बी. की व्हाटसएप हैल्पलाईन पर परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे निजी विश्वविद्यालय में इंजिनियरिंग की सीटें बढ़ाने, सुविधाएं उपलब्ध कराने व सतत परेशान नहीं करने की एवज में डॉ. रामावतार गुप्ता, कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा **10 लाख रूपये** की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी एस.यू.–द्वितीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये **डॉ. रामावतार गुप्ता, कुलपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा** को परिवादी से **05 लाख रूपये** रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों एम.एन.आई.टी. जयपुर परिसर में बने सरकारी गेस्ट हाउस में गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत राशि के अलावा सरकारी गेस्ट हाउस की **तलाशी में करीब 21 लाख रूपये की संदिग्ध राशि** भी बरामद की गयी है। उक्त गेस्ट हाउस में डॉ. रामावतार गुप्ता पिछले चार दिनों से रह रहे थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** ***एवं Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।